<u>न्यायालय-श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला,</u> <u>जिला बैतूल, (म.प्र.)</u>

<u>एम.जी.सी.</u> क्रमांक :- 15 / 12 <u>संस्थापन दिनांक :- 27 / 03 / 12</u> फायलिंग नं. 233504001212012

- 1. श्रीमती कविता पत्नी राजकुमार उम्र 25 वर्ष
- 2. मयंक पुत्र राजकुमार धोटे, उम्र 3 वर्ष लगभग दोनो जाति कुन्बी, निवासी कन्हडगांव, थाना आमला, जिला बैतूल

......आवेदकगण

वि रू द्ध

राजकुमार पिता गुलाबराव धोटे उम्र 27 वर्ष जाति कुन्बी, निवासी कन्हडगांव, थाना आमला, जिला बैतूल

..... <u>अनावेदक</u>

<u>-: (आ दे श) :-</u>

(आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 127 सीआरपीसी 1973 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत धारा 125 सीआरपीसी के आवेदन पर दिनांक 09.02.2010 को आवेदक क्रमांक 01 को 1300 रु. आवेदक क्रमांक 02 मयंक को 600 रु. कुल 1900 रु. प्रतिमाह भरण पोषण प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
- 3. आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका के द्वारा धारा 125 सीआरपीसी का आवेदन 29.07.2009 को प्रस्तुत किए जाने पर आवेदिका का आवेदन स्वीकार कर 1900 रु. भरण पोषण राशि दिलाए जाने के आदेश किए गए थे, परंतु आदेश दिनांक से आज तक आवेदक ने धनराशि अदा नहीं की। वर्तमान समय में महंगाई बढ जाने के कारण आवेदिका एवं उसके पुत्र का भरण पोषण 1900 रु. में होना संभव नहीं है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। आवेदक क्रमांक 02 एयरफोर्स स्कूल में पढ रहा है। अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति है। 10 एकड़ सिंचित भूमि एवं दूध का व्यपार है जिससे उसे 3 लाख रु प्रतिवष आय होती है। अतः आवेदिका एवं उसके पुत्र को प्रतिमाह 5800 रु. भरण पोषण राशि दिलाई जाए।
- 4. प्रकरण में सूचना उपरांत अनावेदक के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाली आवेदिका या भत्ता देने वाले अनावेदक की परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली हुई है जिसके कारण भरण पोषण के लिए भत्ते में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है।
- 6. कविता (अ.सा.—1) एवं श्यामराव (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि भरण पोषण आदेश होने के बाद महंगाई काफी बढ़ गई है। आवेदक क्रमांक 02 स्कूल में पढ़ने लगा है, जिससे नियत की गई भरण पोषण राशि से आवेदिका का खर्च नहीं चल पा रहा है। अनावेदक भरण पोषण राशि भी अदा नहीं कर रहा है, जिस कारण से भी आवेदिका का खर्च नहीं चल पा रहा है। अनावेदक कृषि कार्य करता है 2 लाख रु. की वार्षिक आय होती है। ऐसी दशा मे आवेदिका को 4000 रु. एवं आवेदक को 1800 रु. प्रतिमाह दिलाए जाएं। श्याम राव (अ.सा.—2) ने यह भी बताया कि वह पेंशनर है तथा उसकी पत्नी बीमार है। ऐसी स्थिति में वह पेंशन से अपनी पुत्री एवं उसके पुत्र का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। अनावेदक की अनुपस्थित रहने से उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य अखंडित है।
- 7. आवेदिका को भरण पोषण राशि अदायगी का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2010 को किया गया था। निश्चित ही वर्ष 2010 की तुलना में वर्तमान समय में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो चुकी है। वर्ष 2010 से वर्तमान में अनावेदक की कृषि उपज की आय में भी महंगाई के कारण बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही आवेदक क्रमांक 02 मूल आवेदन 125 प्रस्तुत किए जाने के समय मात्र 6 माह का था, परंतु आज के समय में आवेदक क्रमांक 02 स्कूल जाता है।
- 8. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य अधिसंभाव्य रुप से प्रमाणित पाया जाता है कि आवेदिका एवं अनावेदक की परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली हुई है, जिसके कारण भरण पोषण के लिए भत्ते में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः आवेदिका क्रमांक 01 कविता को 1300 के जगह 1500रु. तथा आवेदक क्रमांक मयंक को 600 रु. की जगह 1000 रु. प्रतिामाह भरण पोषण राशि दिलाया जाना उचित एवं न्यायासंगत पाया जाता है।
- 9. आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 127 द.प्र.सं स्वीकार करते हुए अनावेदक को आदेशित कया जाता है कि वह अपनी पत्नी आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती कविता को प्रतिमाह 1500 रु. तथा आवेदक क्रमांक 02 मयंक को प्रतिमाह 1000 रु. कुल 2500 रु. आदेश दिनांक से प्रदाय करें।
- 10. इस आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)